

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.aimr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.aimr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(93अ)एफसीए / मुवस / 2021 / 255
निमित्त,

दिनांक:- 02/02/22

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- **Diversion of land 0.87 ha. forest land for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata- Ajmer. FP/RJ/ROAD/33196/2018**

सन्दर्भ:-आपके कार्यालय का ऑन लाईन ईडीएस दिनांक 22.12.2021 एवं उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्रांक 543 दिनांक 31.01.2022 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित ऑन लाईन ईडीएस के क्रम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक अजमेर से निम्न जवाब प्राप्त हुआ है (प्रति संलग्न), जो अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	Gravel road is already constructed in the area. When was this road constructed . If FCA sanction is received for this then attach and upload it.	उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में ग्रेवल रोड निर्मित नहीं है वरन् कच्ची रोड बना हुआ है जा वर्ष 1980 से पूर्व का है। अतः तत्समय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(महेश चन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf@ajmer forest@rajasthan gov in

क्रमांक-एफ14()एफसीए/उवसं/2021-22/543

दिनांक :- 31/01/22

निम्नलिखित,

मुख्य वन संरक्षक,

अजमेर।

विषय-

Diversion of land 0.87ha. of forest land for Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018.

संदर्भ - कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के द्वारा लगाय गये ऑनलाईन ईडीएस पत्रांक 92 दिनांक 25.01.2022 के क्रम में।

महादय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण Diversion of land 0.87ha. of forest land for Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018 Forest land Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980, में उच्च कार्यालय द्वारा संदर्भित ऑनलाईन ईडीएस के माध्यम से आक्षेप लगाया गया है जो निम्नानुसार है:-

1. Nodal Office, Jaipur raise the issue that- Gravel road is already constructed in the area. When was this road constructed . If FCA sanction is received for this then attach and upload it. Plz reply the EDS.

इस क्रम में प्रस्तावित क्षेत्र में ग्रेवल रोड निर्मित नहीं है वरन् कच्चा रोड बना हुआ है जो वर्ष 1980 से पूर्व का है अतः तत्समय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी।

वर्तमान में आवेदित प्रस्तावित सड़क का कार्य करने हेतु 0.87 हैक्टर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये, जिसके क्रम में भाग-2 की पूर्ति कर प्रस्तावित प्रकरण अभिशंषा सहित उच्च कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम प्रेषित किया गया था। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

रिपोर्ट श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



भवदीय,

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
अजमेर

दिनांक:-

क्रमांक :- सम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रॉटेक्शन एवं नाडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान जयपुर
2. अर्थीय वन अधिकारी, पुष्कर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना सड़क का निर्माण करने संबंधित किसी भी प्रकार से गैर वानिकी कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ना किया जाए यह सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक
अजमेर